न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व प्रथम अपील :– 32/2023
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2023/41

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

1. मोटाराम पुत्र रतनाराम
2. केसाराम पुत्र रतनाराम,
3. मदन पुत्र मोटाराम,
4. पोलाराम पुत्र केसाराम,
5. राणाराम पुत्र केसाराम,
6. जितेन्द्र पुत्र राणाराम,
जातियान पटेल, निवासी ग्राम गाजणगढ, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

1. छोगाराम पुत्र किशनाराम,
2. देवाराम पुत्र किशनाराम,
जाति पटेल, निवासी ग्राम गाजणगढ, तहसील रोहट, जिला पाली।
3. तहसीलदार रोहट, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रोहट, जिला पाली द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 22/2020 दिनांक 08.02.2023 अनवान छोगाराम वगैरा बनाम मोटाराम वगैरा में पारित किया गया

उपस्थिति :–
1. श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट।
2. श्री श्रवण सिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांक: 20–06–2024

1 अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम गाजनगढ़ तहसील रोहट की सीमा में खसरा नंबर 449, 449/1, 449/2 व 449/3 पर सीमाओं के विवादों को उपलब्ध राजस्व ट्रेस नक्शे के आधार पर नाप–जोख कर, सीमाओं का ज्ञान करवाकर, पत्थर गढ़ढी [illegible] का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा आदेश दिनांक 08–02–2023 को पारित किया गया कि ग्राम गाजणगढ़ तहसील रोहट के खसरा नंबर 449, 449/1, 449/2 व 449/3 की कृषि भूमि का उपलब्ध नक्शा ट्रेस के आधार पर नाप–जोख कर सीमांकन कर पत्थर गढ़ढी कर उक्त खसरा नंबर की सीमाऐं निश्चित करे अर्थात सीमाओ का ज्ञान करवाकर रेस्पोडेण्ट्स एवं अपीलाण्ट्स संख्या 1 से 6 के बीच उत्पन्न सीमाओं के विवादों का विनिश्चयन् कर कब्जे के सर्वोतम हकदार रेस्पोडेण्ट्स को वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 449 व वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 449/2 का कब्जा सुपुर्द किया जावे। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–02–2023 से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.06.25 20:59:42 IST
Reason: SelfAttested

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के द्वौरान मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि ग्राम गाजनगढ़, तहसील रोहट, जिला पाली के मूल खसरा संख्या 449 रकबा 44.14 बीघा, खसरा नंबर 537 रकबा 17.10 बीघा व खसरा नंबर 548 रकबा 30.06 बीघा कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 92.10 बीघा कृषि भूमि स्थित थी। उक्त कृषि भूमि पूर्व में अपीलाण्ट मोटाराम, केसाराम और रेस्पोडेण्ट्स छोगाराम एवं देवाराम के सहखातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि थी। तहसीलदार रोहट ने आदेश क्रमाक/राजस्व/ कैम्प/8/121 दिनांक 11.6.18 द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर 449, 537 व 548 की कुल 92.10 बीघा भूमि का आपसी सहमती से विभाजन कर अपीलाण्ट मोटाराम, केसाराम और रेस्पोडेण्ट्स छोगाराम एवं देवाराम के आपसी सहमति तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत किया। तहसीलदार रोहट के आदेश दिनांक 11.6.18 की पालना मे हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 1117 दिनांक 25.07.18 स्वीकृत किया।

उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 449 रकबा 11.04 बीघा, किस्म बा.अ. खसरा नम्बर 537/2 रकबा 4.07 बीघा, किस्म बा. अ. व खसरा नम्बर 548/3 रकबा 7.10 बीघा, किस्म बा. दो. कुल रकबा 23.01 बीघा रेपोडेण्ट्स छोगाराम के हिस्से में दी गई।

उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 449/1 रकबा 11.03 बीघा, किस्म बा.अ., खसरा नम्बर 537/1 रकबा 4.08 बीघा, किस्म बा. अ. व खसरा नम्बर 548 रकबा 7.10 बीघा, किस्म बा. दो. कुल रकबा 23.01 बीघा अपीलाण्ट्स मोटाराम के हिस्से में दी गई।

उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 449/3 रकबा 11.04 बीघा, किस्म बा. अ. खसरा नम्बर 537 रकबा 4.07 बीघा, किस्म बा. अ. व खसरा नम्बर 548/2 रकबा 7.10 बीघा, किस्म बा. दो. कुल रकबा 23.01 बीघा रेस्पोडेण्ट्स देवाराम के हिस्से मे दी गई।

उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 449/1 रकबा 11.03 बीघा, किस्म बा. अ., खसरा नम्बर 537 रकबा 4.08 बीघा, किस्म बा. अ. व खसरा नम्बर 548/1 रकबा 7.10 बीघा, किस्म बा. दो. कुल रकबा 23.01 बीघा अपीलाण्ट्स केसाराम के हिस्से में दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.06.25 20:59:42 IST
Reason: SelfAttested

उक्त नामान्तरकरण संख्या 1117 दिनांक 25.07.2018 का अमल दरामद राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 मे किया गया तथा राजस्व ट्रेस नक्शा में मौका कब्जा काश्त का नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम की गई, तब से अपीलाण्ट मोटाराम, केसाराम एवं रेस्पोडेण्ट्स छोगाराम, देवाराम उसी अनुसार काश्त करते आ रहे है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में

बनाया गया है, खसरा नंबर 450 के खातेदारान् को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था क्योंकि उक्त खातेदारान् द्वारा ही प्रार्थी की भूमि पर कब्जा किया गया हैं।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने आगे अभिकथन किया कि रेस्पोडेण्ट्स की कृषि भूमि पर खसरा नंबर 450 के खातेदारान द्वारा कब्जा किया गया है, इस कारण से रेस्पोडेण्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत नही कर, रेस्पोडेण्टस का अपनी कृषि भूमि से कब्जा हटाने के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा जाना चाहिए था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से खारिज किया जाना योग्य है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृश्टांत आर आर टी 2017(2) पेज नंबर 1084 प्रस्तुत किया गया तथा अभिकथन किया गया कि इस प्रकार रेस्पोडेण्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के द्वारा जो अनुतोष चाहा गया था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुतोष से परे जाकर रेस्पोडेण्टस के पक्ष में आदेश पारित किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने द्वौराने बहस यह भी कहा कि दिनांक 31.03. 2023 की फर्द मौका रिपोर्ट में मोटाराम के पुत्र मदनलाल की उपस्थिति मौके पर बताई गई है, उक्त उपस्थिति दर्शाने वाली तीन लाईन बाद में पृथक से जोडी गई प्रतीत होती है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नही किया है कि कौनसे खातेदार अथवा पक्षकार का रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि में कितनी भूमि पर कब्जा है या किस खातेदार द्वारा रेस्पोडेण्ट को कृषि भूमि प्रदान की जायेगी। यहा यह भी अवगत करवाना आवश्यक है कि रेस्पोडेण्ट छोगाराम ने अपनी कृषि भूमि लालाराम को बेचान कर दी है तथा विचाराधीन अपील में रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 छोगाराम ने दिनांक 20.04.2023 को एक दरखास्त न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि चूंकि मन छोगाराम ने स्वयं के हिस्से की भूमि का बेचान अन्य व्यक्ति लालाराम को कर दिया है, अतः प्रश्तगत अपील से छोगाराम का नाम रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 छोगाराम के रूप में से हटाया जावे तथा क्रेता लालाराम का नाम अपील में जोड़ा जावे। न्यायालय हाजा द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.01.2024 द्वारा इस [illegible] का आदेश पारित किया कि रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 छोगाराम [illegible] Proforma Party) के रूप में अपील में पक्षकार रहेगें। क्रेता लालाराम [illegible] Pending उक्त आदेश दिनांक 11.01. 2024 में नही दी गई है।

अपील पेश करने में हुये विलम्ब के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि माननीय न्यायालय को अपील में हुये विलम्ब को कण्डोन करते हुये अपील के गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिये, इस संबंध में उनके द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 1998 पेज नंबर 319 प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से अपास्त योग्य होना बताया

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.06.25 20:59:42 IST
Reason: SelfAttested

5. बहस के द्वौरान रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि मौजा गाजनगढ़, पटवार हल्का खारडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ढाबर, तहसील–रोहट की सीमा में खसरा नंबर 448/2 रेस्पोडेण्ट की अलोटेड भूमि हैं।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि तहसीलदार रोहट ने आदेश क्रमाक/राजस्व/कैम्प/8/121 दिनांक 11.6.18 द्वारा खसरा नम्बर 449, 537 व 548 की कुल 92.10 बीघा भूमि का आपसी सहमती से विभाजन कर अपीलाण्ट मोटाराम, केसाराम और रेस्पोडेण्ट्स छोगाराम एवं देवाराम के आपसी सहमति तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार बंटवाड़ा कर नामातंरकरण स्वीकृत किया गया। तहसीलदार रोहट के आदेश दिनांक 11.6.18 की पालना मे हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1117 दिनांक 25.07.18 स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1117 दिनांक 25–07–2018 का अमल दरामद राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में किया गया तथा मौका पर कब्जा–काश्त के अनुसार राजस्व ट्रेस नक्शा में तरमीम की गई।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलाण्ट मोटाराम व अन्य द्वारा रेस्पोडेण्ट्स छोगाराम को उसकी खातेदारी भूमि से सदोष बेकब्जा करने एवं कुछ भूमि हडप करने की नियत से वक्त आपसी सहमति बंटवाडा के कायम की गई माठ हटाकर भूमि पर आगे बढते हुये मौके पर पक्का निर्माण करवाने हेतु आमादा हो गये थे, जिस पर रेस्पोडेण्टस छोगाराम ने समाज के गणमान्य व्यक्तियों, रिश्तेदारो के समक्ष अपीलाण्ट मोटाराम व अन्य से रेस्पोडण्ट की खातेदार भूमि का नाप जोख करवाकर सीमाज्ञान करवाकर उत्पन्न सीमाओं के विवाद का निपटारा करने का निवेदन किया। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा सीमाज्ञान नही करने देने बाबत् धमकी दी गई। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया। रेस्पोडेण्ट एवं अपीलाण्ट के बीच उत्पन्न सीमाओं के विवादो का विनिश्चयन् करना न्यायहित में आवश्यक हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्णय पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने मौजा गाजनगढ पटवार हल्का खारडा के खसरा नंबर 449, 449/1, 449/2 व 449/3 की कृषि भूमि का उपलब्ध नक्शा ट्रेस के आधार पर नाप जोख करने का आदेश दिनांक 08–02–2023 को पारित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.06.25 20:59:42 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा विचाराधीन अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की [illegible] इसलिये अपील अपीलाण्ट मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज फरमाई [illegible] विधि के अनुसार होने से अपील खारिज फरवाई [illegible]

6. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। द्वौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह तथ्य न्यायालय हाजा की जानकारी में लाया गया कि मौका रिपोर्ट दिनांक 19–05–2022 के अनुसार खसरा नंबर 449 की मौके के अनुसार खसरा संख्या 449, 449/1, 449/2, 449/3 का कुल रकबा 36.03 बीघा है। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 19.05.2022 के अनुसार रकबा 4.05 बीघा खसरा

बीघा भूमि पर काबिज हैं, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार 11.04 बीघा भूमि खसरा संख्या 449 में दर्ज हैं। खसरा संख्या 449/1, 449/2, 449/3 के खातेदार नक्शा लठ्ठा में दर्ज तरमीम एवं मौके के रकबा के अनुसार काबिज नही हैं। खसरा नंबर 449 के समस्त खातेदार रेकर्ड में दर्ज आपसी सहमति के विभाजन के अनुसार काबिज न होकर कम ज्यादा भूमि पर काबिज हैं।

यहा पर रेस्पोडेण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रकरण अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानो को उद्धरित भी करना आवश्यक है–

Section 111. Decision of disputes as to boundaries –

(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the exiting survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section, the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Section 128. Boundary disputes –

All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Records Officer in the manner laid down in Section 111:

(Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to any disposing officer in cases where there eixsts no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likehood of such a dispute arising.)

इस प्रकार सक्षम न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रावधानो के अनुसार प्रकरण प्रस्तुत होने पर, उक्त धाराओं में वर्णित प्रावधानो के अनुसार न्यायिक कार्यवाही की जानी होती है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.06.25 20:39:42 IST
Reason: SelfAttested

उक्त नजीर में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी प्रकरण को धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत खारिज करने तथा किसी भी अपील को मियाद बाहर मानते समय अब यह well settled principle of law के रूप में लिया जाना चाहिए कि अपील/प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाये। जहां तक मियाद संबंधी बिन्दु पर प्रश्नगत प्रकरण का संबेध है, विचाराधीन प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–02–2023 को पारित किया गया है तथा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 17–04–2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र दिनांक 17–04–2023 अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–02–2023 के विषय में अपीलाण्ट को दिनांक 01–04–2023 को जानकारी होते ही अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश की प्रति आदि प्राप्त की जाकर, अविलम्ब ही प्रश्नगत अपील पेश कर दिया जाना अवगत करवाया गया है तथा इसमें हुये विलम्ब को सद्भाविक देरी मानते हुये अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कण्डोन करते हुए जानकारी की दिनांक से अपील अंदर मियाद मानते हुए अपील को स्वीकार करने तथा अपील का गुणावगुण पर विचार करने हेतु प्रार्थना की है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर विचार करते हुये न्याय हित में अपीलाण्ट का मियाद संबंधी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

जहां तक अपील के गुणावगुण पर निर्णय करने का प्रश्न है, उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह दृष्टिगत होता है कि पक्षकारान् का आपसी सहमति से विभाजन होने के उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 1117 दिनांक 25.07.2018 का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में किया गया तथा मौका कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व ट्रेस नक्शा में तरमीम की गई।

दिनांक 03–11–2020 की मौका रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदर रोहट के आदेश दिनांक 15–10–2020 कि पालना में मौका निरीक्षण कर सहखातेदारो की उपस्थिति में सीमांकन कर भोतिक सत्यापन किया गया है तथा आपसी सहमति से बंटवारे के पश्चात् निर्णय दिनांक 25–07–2018 के अनुसार 4 खसरो में विभाजित होना अंकित है, जिसमें चारो खसरा नंबर यथा– खसरा नंबर 449 रकबा 11.04 बीघा के खातेदार छोगाराम पुत्र किशनाराम, खसरा नंबर 449/1 रकबा 11.03 बीघा के खातेदार मोटाराम पुत्र रतनाराम, खसरा [illegible] बीघा के खातेदार देवाराम पुत्र किशनाराम एवं खसरा नंबर 449/3 [illegible] बीघा के खातेदार केसाराम पुत्र रतनाराम का प्रत्येक खातेदार [illegible]ड़ा के अनुसार अंकित किया गया है। उक्त फर्द मौका में मूल खसरा नंबर 449 रकबा 44 बीघा 14 बिस्वा में खातेदारो का कब्जा भी दर्शाया गया है तथा उनका कब्जा भी मौके के अनुसार दर्शाया गया है, उक्त चारो खातेदार, जो की प्रश्नगत प्रकरण में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स है, के अलावा पड़ौसी खातेदार का भी खसरा नंबर 450 पर कब्जा होना बताया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.06.25 20:59:42 IST
Reason: SelfAttested

इस फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 449 के सभी काश्तकार, बंटवारा की स्थिति से पूर्व के कब्जे के अनुसार कम ज्यादा भूमि पर काबिज होना बताते हुए फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, इस फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 19.05.2022 के

खातेदार खसरा संख्या 449, 449/1, 449/2 एवं 449/3 का कुल रकबा 36.03 बीघा है तथा रकबा 4.05 बीघा खसरा संख्या 450 के खातेदार पड़ौसी के कब्जे में है। वर्तमान लट्ठा नक्शा व मौके के अनुसार उक्त खसरे की कुल भूमि 40.08 बीघा है जबकि रिकॉर्ड में 44.14 बीघा भूमि दर्ज है। प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट्स खातेदार छोगाराम पुत्र किशनाराम की भूमि नजरी नक्शा के अनुसार 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर काबिज है जबकि रिकॉर्ड के अनुसार 11.04 बीघा भूमि खसरा नंबर 449 में दर्ज है। खसरा संख्या 449/1, 449/2, 449/3 के खातेदार लठ्ठा नक्शा में दर्ज तरमीम एवं मौके के रकबे अनुसार काबिज नही हैं। खसरा नंबर 449 के समस्त खातेदार रिकॉर्ड में दर्ज आपसी सहमति के विभाजन के अनुसार काबिज न होकर कम ज्यादा भूमि पर काबिज हैं। मौका फर्द दिनांक 19.05.2022 में खसरा नंबर 450 के पडौसी खातेदार के कब्जा में होना बताया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में खसरा नंबर 450 के खातेदार को नही सुना गया और ना ही उसे पत्रावली में पक्षकार बनाया है।

उपरोक्त वर्णित विवेचन के अनुसार दिनांक 3.11.2020 की मौका रिपोर्ट में भूमि मौके पर कम बताई गई है। इसी प्रकार प्रश्नगत भूमि के लगवा खसरा नंबर 450 का पडौसी खातेदार के कब्जे में होना बताया गया है। रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा पर उनका कब्जा भी होना बताया है। इसी प्रकार दिनांक 29.05.2022 की मौका रिपोर्ट में भी पडौसी खातेदार के कब्जे में भूमि होना बताया गया है।

यहा पर यह भी उल्लेखनीय है कि जब समस्त पक्षकारो को आपसी सहमती के विभाजन में समान हिस्सा एवं समान भूमि प्राप्त हुई है तो मौके पर भी समस्त खातेदारो को समान भूमि ही मिलनी चाहिये। आपसी सहमती से हुये विभाजन में प्रश्नगत आराजी में सभी खातेदारान् को रकबा 23.01 बीघा प्रत्येक हिस्से में विभाजित हुई है तथा खसरा नंबर 490 के कुल रकबे में से भी विभाजन के पश्चात् प्रत्येक के हिस्से 11.04 बीघा भूमि सभी खातेदारो को समान रूप से मिली है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमांकन एवं पैमाईश संबंधी विवाद प्राप्त होने पर यह अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व है कि वे पूर्व में आपसी सहमती से हुये विभाजन के अनुसार ही समस्त पक्षकारो का मौके पर भी कब्जा समान हिस्से के रूप में करे तथा उसी के अनुसार सीमांकन एवं राजस्व ट्रेस में तरमीम भी करावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

उपरोक्त वर्णित विवेचन के [illegible] होता है कि प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यो का अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में [illegible] विवेचन नही किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का [illegible] आधारित नही हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्याया[illegible]वत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.06.25 20:59:42 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय भूमि अभिलेख अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रोहट के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 22/2020 अनवान छोगाराम वगैरह बनाम मोटाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08–02–2023 को अपास्त किया जाता हैं। न्यायालय भूमि अभिलेख

विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

संभागीय आयुक्त,
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 20 जून, 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.06.25 20:59:42 IST
Reason: SelfAttested